बिहार साकार
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक-पु.6.ना.वि.पु.25/05 3566 आ0 वा0, पटना/दिनांक - 31.12.05

प्रेषक,

अरूण झा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी
विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना ।

विषय :- **सिटीजन चार्टर (नागरिक अधिकार पत्र) लागू करने के क्रम में सूचना सम्बन्धी अधिकार को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 2397 दिनांक 12.06.02

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्देश निर्गत होने के बावजूद इसे प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है ।

अतः यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायी जाय :-

1. प्रत्येक जन वितरण प्रणाली दुकान में उपभोक्ताओं की जानकारी के लिये विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की हकदारी, निर्गम मूल्य, जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम, दुकान खुलने और बंद करने का समय और साप्ताहिक छुट्टी का दिन, भंडार स्थिति आदि की सूचना विक्रता के दुकान में सूचना-पट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा ।
2. खाद्यान्न की क्वालिटी और मात्रा एवं उपभोक्ताओं द्वारा राशन लेने के दौरान पेश आई अन्य समस्याओं के सन्दर्भ में शिकायतें दर्ज करने हेतु जन वितरण प्रणाली दुकान में शिकायत पुस्तिका विक्रेता द्वारा संधारित की जायेगी तथा शिकायतें दर्ज करने की कार्यावधि भी प्रदर्शित करेंगे ।
3. जन वितरण प्रणाली दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ता को दुकान पर भंडार पंजी, बिक्री पंजी और राशन कार्ड पंजी (इकाई पंजी) का निरीक्षण करने का हक होगा ।
4. जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के कार्यालयों द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों को किये गये विभिन्न वस्तुओं के आवंटन के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा । पंचायत, पंचायत समिति और नगरपालिका को प्रत्येक माह किये गये आवंटन और वास्तव में की गयी वितरण मात्रा के बारे में सूचित किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,
(अरूण झा) 31/12/05
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 3564 दिनांक - 31.12.05

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 3564 दिनांक - 31.12.05

प्रतिलिपि :- सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी मुखिया, सभी प्रमुख, जिला परिषद् अध्यक्ष तथा नगरपालिका अध्यक्ष को भी सूचित करने की आवश्यक कार्रवाई करेगें ।

सरकार के सचिव ।